रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | |
|---|---|
| सं. 535] | नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 24, 2018/पौष 3, 1940 |
| No. 535] | NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 24, 2018/PAUSHA 3, 1940 |

## स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

**(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2018

**फा.सं. 1-95/मानक/पैकेजिंग/एसपी/एल एवं सी/एफएसएसएआई-2017**.—कतिपय विनियमों का प्रारूप अर्थात्: खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में अधिसूचना सं॰ फाईल संख्या 1-95/मानक/पैकेजिंग/ एसपी(एल एवं सी/ए)/एफएसएसएआई-2017 तारीख 19 मार्च, 2018 द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षानुसार प्रकाशित किए गए थे जिसमें उन व्यक्तियों से जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियमन, 2011 बनाया, लेकिन अब खाद्य प्राधिकरण ने इन विनियमों को दो विनियमों में विभाजित करने का निर्णय लिया है, -

(i) खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018; और

(ii) खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2018,

और तदनुसार उपर्युक्त प्रारूप विनियम के अनुसार प्रकाशित किए गए;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 2 अप्रैल, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियम के सम्बन्ध में जनता से प्राप्त आक्षेपो और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है**;**

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 (2006 **का** 34) की धारा 23 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (**2**) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011, की जहां तक वे पैकेजिंग नियमों से संबंधित हैं, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिसे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण निम्नलिखित नियम बनाता हैं , अर्थात्: -

**विनियम**

**1.** संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(**1**) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम**,** 2018 है।

**(2)** ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगे और खाद्य कारोबार चालक को 1 जुलाई, 2019 से इन विनियमों के सभी उपबंधों का अनुपालन करना होगा।

**2. परिभाषाएं-** (**1)** इन विनियमों में**,** जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो**,-**

**(**क) “**अधिनियम**” से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम**, 2006 (2006** का **34)** अभिप्रेत है**;**

**(**ख) “**खाद्य श्रेणी**” से उस सामग्री से अभिप्रेत है जो कि उसके उपयोग के अनुसार सुरक्षित एवं उपयुक्त है जिससे मानव स्वास्थय को कोई खतरा नहीं हो और जो भोजन की संरचना एवं ओर्गेनोलेप्टिक विशेषताओं में परिवर्तन नहीं करती हो।

**(**ग) “**बहुपरतीय/खाद्य पैकेजिंग** संरचना से अर्थ उस खाद्य पैकिंग सामग्री या वस्तु से अभप्रेत है जो कि दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न प्रकार के अनुमत पैकिंग सामग्रियों की परतों से मिलकर बना होता है।

**(**घ) **“संपूर्ण प्रव्रजन सीमा"** से अर्थ सामग्री या वस्तु द्वारा खाद्य उत्तेजकों में छोडी जाने वाली गैर-वाष्पशील पदार्थों की अधिकतम अनुमत राशि से अभिप्रेत है।

**(**ङ) “**पैकेज या कन्टेनर**” से अभिप्रेत है पहले से पैक किया हुआ डिब्बा**,** बोतल**,** कास्केट**,** टिन**,** बैरल**,** केस**,** पाउच**,** बक्सा**,** बोरा**,** बैग**,** रैपर**,** या इस प्रकार की अन्य वस्तुओं से है जिनमें खाद्य पैक किया जाता है।

**(**च) “**पैकेजिंग सामग्री**” से खाद्य उत्पादों के पैकेजिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले कार्डबोर्ड**,** पेपर**,** कांच**,** धातु**,** प्लास्टिक की फिल्म**,** बहु-परत पैकेजिंग सामग्री जैसे सामग्रियां अभिप्रेत है।

**(**छ) “**प्राथमिक खाद्य पैकेजिंग**” से अभिप्रेत उस पैकिंग सामग्री से है जो कि खाद्य उत्पाद के सीधे सम्पर्क में आती है।

**(**ज) “**सहायक खाद्य पैकेजिंग**” का अर्थ उस पैकिंग सामग्री से है जो कि प्राथमिक खाद्य पैकेजिंग को बाहर से ढकती है और यह खाद्य के सीधे सम्पर्क में नहीं आती है।

**(**झ) “**विशेष प्रवजन सीमा”** से सामग्री या वस्तु के द्वारा भोजन या भोजन उत्तेजकों में छोडी जाने वाले पदार्थ की अधिकतम अनुमत राशि से अभिप्रेत है।

**(2)** उन शब्दों और पदों के**,** जो इसमें प्रयुक्त हैं और इन विनियमों में परिभाषित नहीं हैं**,** किन्तु अधिनियम**,** उसके अधीन बने नियमों या विनियमों**,** में परिभाषित हैं**,** वही अर्थ होंगे**,** क्रमश: जो उस अधिनियम**,** नियम या विनियम में उनके हैं**;**

**3. सामान्य आवश्यकताएं-**

(1) हर खाद्य कारबार प्रचालक यह सुनिश्चित करेगा कि इस्तेमाल की जाने वाली पैकेजिंग सामग्री इन विनियमों के अनुसार होगी:

परंतु यदि भारतीय मानक उपलब्ध नहीं हैं, तो प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन किया जा सकता है।

(2) कोई भी सामग्री जो भोजन के साथ सीधे संपर्क में आता है या भोजन के संपर्क में आने की संभावना है जिसका उपयोग खाद्य को पैक करने, तैयार करने, भण्डारण में, रैपिंग, परिवहन या बिक्री या सेवा में किया जाता है वह सामग्री खाद्य श्रेणी गुणवत्ता की होनी चाहिए।

(3) पैकेजिंग सामग्री उत्पाद के प्रकार, भंडारण के लिए प्रदान की गई शर्तों और खाद्य को भरने, सीलिंग और पैकेजिंग के साथ-साथ परिवहन शर्तों के लिए उपयुक्त होगी।

(4) सामान्य परिवहन के दौरान पैकेजिंग सामग्री यांत्रिक, रासायनिक या थर्मल तनाव का सामना करने में सक्षम हो । लचीला या अर्द्ध-कठोर कंटेनर के मामले में, एक ओवररैप पैकेजिंग आवश्यक हो सकता है।

(5) खाद्य उत्पादों को साफ, स्वच्छ और टेम्परप्रूफ पैकेज/ कंटेनरों में पैक किया जाना चाहिए।

(6) सीलिंग सामग्री उत्पाद और कंटेनरों के साथ-साथ कंटेनरों के लिए इस्तेमाल होने वाले क्लोजर सिस्टम के साथ संगत होनी चाहिए।

(7) एक बार उपयोग किये हुए टिन कंटेनर, खाद्य की पैकेजिंग के लिए फिर से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

(8) 5 लीटर और उससे अधिक क्षमता वाले प्लास्टिक कंटेनर और ग्लास की बोतलें, जिन्हें भोजन के पैकेजिंग के लिए पुन: उपयोग किया जाता है, उपयुक्त टिकाऊ, साफ करने या साफ करने के लिए आसान होनी चाहिए।

(9) खाद्य पैकेटों पर उपयोग में ली जाने वाली स्याही आईएस: 15495 मानक के अनुरूप होनी चाहिए।

(10) पैकेजिंग सामग्री की मुद्रित सतह, खाद्य उत्पादों के साथ सीधे संपर्क में नहीं आनी चाहिए।

(11) अखबार या किसी भी ऐसी सामग्री का भंडारण और खाद्य को लपेटन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

(12) यदि बहुपरतीय पैकेजिंग सामग्री का उपयोग किया जा रहा है तो जो सतह खाद्य के सीधे सम्पर्क में आ रही है उसको इस विनियम की अनुसूची I, II, और III में वर्णित आवश्यक मानदण्डों के अनुरूप होना चाहिए।

(13) इन विनियमों के अनुसूची I, II और III में सूचीबद्ध सामग्रियों को पैकेजिंग सामग्री के रूप में उनके इच्छित उपयोग के साथ संगत किया जाना चाहिये ताकि खाद्य उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा में कोई परिवर्तन नहीं हो।

(14) प्रत्येक खाद्य व्यापार ऑपरेटर को पैकेजिंग सामग्री या उसकी परतों जिसके भोजन के सीधे संपर्क में की संभावना है के लिए इन नियमों के अनुरूप एन ए बी एल मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला द्वारा जारी अनुरूपता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

**4. प्राथमिक खाद्य पैकेजिंग के लिए विशिष्ट आवश्यकताएँ.- (1) कागज एवं बोर्ड सामग्री जो खाद्य उत्पादों के सम्पर्क में आती हैं-**

(क) कागज और बोर्ड सामग्री बनावट एंव मोटाई में एक समान होनी चाहिए।

(ख) यह दाग धब्बों, तेल एवं चिकनाई के निशान, कटे-फटे, छोटे-छोटे छेदों और अन्य दोषों से मुक्त होने चाहिए।

(ग) जिस कागज का उपयोग डिब्बे, बडे डिब्बे, प्लेट, कप, कागज के ढक्कन को बनाने में उपयोग होता है या जो कागज खाद्य उत्पादों के सीधे सम्पर्क में आता है वह खाद्य श्रेणी का होना चाहिए और संदूषित पदार्थ से मुक्त होना चाहिए।

(घ) जिन कागजों एवं बोर्ड सामग्रियों का उपयोग ऐसे डिब्बों को बनाने में किया जाता है जिनका उपयोग खाद्य उत्पादों के भण्डारण एवं पैक करने में किया जाता है, उन्हें अनुसूची-I में दिये गये विनिर्देश के अनुसार प्रासंगिक भारतीय मानकों पर खरा उतरना चाहिए।

**(2) कांच के कन्टेनर जो कि खाद्य उत्पादों के सीधे सम्पर्क में आते हैं** – (क) जहाँ तक संभव हो, ये फफोले, ढालने के निशान, पत्थर और चिपिंग से मुक्त होने चाहिए और जहां तक संभव हो, बुलबुले, डोरियों, बीज और अन्य दिखाई देने वाले दोषों से भी मुक्त होने चाहिए।

(ख) इनकी सतह बिना दरारों, छेदों, नुकीली धारों से रहित चिकनी होनी चाहिए।

(ग) इनके सील करने की सतह दरारों एवं प्रमुख सीवन जोड के निशानों से मुक्त होनी चाहिए।

**(3) धातु और मिश्र धातु जो कि खाद्य उत्पादों के सीधे सम्पर्क में आते हैं-** (क) बर्तन या कन्टेनर जो कि निम्न धातुओं या सामग्रियों से बने हों एवं जिन खाद्यों का उत्पादन या भण्डारण इन बर्तनों मे किया जाता है वह मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त है:-

(i) जंग लगे हुए बर्तन;

(ii) एनामलावृत बर्तन जो कि टूटे हुए और जंग लगे हुए हों।

(iii) तांबे या पीतल के बर्तन जिन पर टिन की परत न चढी हो।

(ख) धातु और धातु मिश्र धातु, जहाँ लागू हो, के उपयुक्त ग्रेड खाद्य उत्पादों के पैकिंग या भंडारण के लिए उपयोग किए जाएंगे।

(ग) जिन धातुओं एवं मिश्र धातुओं का उपयोग ऐसे डिब्बों को बनाने में किया जाता है जिनका उपयोग खाद्य उत्पादों के भण्डारण एवं पैक करने में किया जाता है, को अनुसूची - II में दिये गये विनिर्देश के अनुसार प्रासंगिक भारतीय मानकों पर खरा उतरना चाहिए।

**(4) प्लास्टिक सामग्री जो खाद्य उत्पादों के सम्पर्क में आती हैं-** (क) जिन प्लास्टिक सामग्रियों का उपयोग ऐसे डिब्बों को बनाने में किया जाता है जिनका उपयोग खाद्य उत्पादों के भण्डारण एवं पैक करने में किया जाता है, को अनुसूची-III में दिये गये विनिर्देश के अनुसार प्रासंगिक भारतीय मानकों पर खरा उतरना चाहिए:

परंतु पेय जल (पैकेज्ड एवं खनिज जल दोनों) रंगहीन, पारदर्शी, एवं टेम्पर्प्रूफ बोतलों या कन्टेनरों में पैक किये गये हों पोलीथीलेन (पीई) जो कि आईएस:10146 या पोलीविनाईल क्लोराईड (पीवीसी) जो कि आईएस: 10151 या पोलीएल्केलाईन टेरेपेथलेट (पीईटी और पीबीटी) जो कि आईएस :12255 या पोलीप्रोपलेन (पीपी) जो कि आईएस:10910 मानकों को पूरा करते हों या खाद्य श्रेणी की पोलीकार्बोनेट आईएस:14971 पोलीस्टीरेन आईए:10142 मनको को पूरा करते हो या जीवाणु रहित कांच की बोतलों का उपयोग पेयजल को पैक करने के लिए किया जाना चाहिए। कंटेनर की पारदर्शिता प्रकाश ट्रांसमिटेशन में 85 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त भारतीय मानक आईएस: 9833 में निर्दिष्ट सभी वर्णक या रंग को पांच लीटर और उससे ऊपर के प्लास्टिक के कंटेनर में अनुमति दी जा सकती है जो पॉली कार्बोनेट और पॉलीथीन टेरेफाथलेट (पीईटी) से बना है जो कि खनिज पानी के पैकेजिंग और पेयजल के पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के कंटेनर की पारदर्शिता प्रकाश ट्रांसमीटर से 85 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

(ख) प्लास्टिक से बनी सभी पैकेजिंग सामग्रियों में आईएस 9845 के अनुसार निर्धारित प्रव्रजन सीमा 60 मिग्रा/किग्रा या 10 मिग्रा/ डीएम2 पर खरा उतरना चाहिए एंव दृश्यरंग का प्रव्रजन न हो।

(ग) प्लास्टिक सामग्रियों एवं वस्तुएं, तालिका 1 के तहत दी गई विनिर्दिष्ट प्रव्रजन सीमा से अधिक मात्रा में निम्नलिखित पदार्थ नहीं छोड़ेगीं।

(घ) खाद्य या पेयजल के सीधे सम्पर्क में आने वाली प्लास्टिक में उपयोग किया गया रंगद्रव्य या रंगीन पदार्थ को आईएस: 9833 मानकों पर खरा उतरना चाहिए।

(ड़) पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक से बनने वाले बैग या फिर से किए गए प्लास्टिक के बने उत्पादों को पैकेजिंग, भंडारण, भोजन या खाद्य पदार्थों के वितरण के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

**सारणी** 1: **प्लास्टिक सामग्री जो कि खाद्य उत्पादों के सीधे सम्पर्क में आते हैं के लिए विनिर्दिष्ट प्रव्रजन सीमा की आवश्यकताएं।**

| **क्र.सं** | **तत्व** | **अधिकतम प्रव्रजन सीमा (मिग्रा/किग्रा)** |
|---|---|---|
| 1. | बेरियम | 1.0 |
| 2. | कोबाल्ट | 0.05 |
| 3. | तांबा | 5.0 |
| 4. | लोहा | 48.0 |
| 5. | लिथियम | 0.6 |
| 6. | मैंगनीज | 0.6 |
| 7. | जस्ता | 25.0 |

5. सांकेतिक पैकेजिंग सामग्री की एक सूची जिनका उपयोग खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग में किया जा सकता है को अनूसची-IV में विनिर्दिष्ट किया गया है:

परंतु यह एक सूचक सूची है जो निर्दिष्ट मानकों के साथ अनुपालन करने वाली किसी भी अन्य पैकेजिंग सामग्री के उपयोग को प्रतिबंधित नहीं करती है।

**अनूसूची – I**

**कागज और बोर्ड सामग्री जो खाद्य उत्पादों के सीधे सम्पर्क में आते हैं।**

| **क्र.सं** | **मानकों की सूची** |
|---|---|
| 1. | चिकनाईरोधी कागज – आईएस 6622 |
| 2. | वनस्पति चर्मपत्र या चिकनाईरोधी कागज / एल्युमीनियम फोईल लेमिनेट – आईएस 7161 |
| 3. | पैकिंग के लिए एल्युमीनियम फोईल लेमिनेट– आईएस 8970 |
| 4. | सामान्य उपयोग के लिए पैकिंग/रैपिंग कागज – आईएस 6615 |

| | |
|---|---|
| 5. | फोल्डिंगि बॉक्स, अनकोटेड – आईएस 1776 |
| 6. | नालीदार फाइबर बोर्ड बक्से - विशिष्टता (भाग 1) - IS 2771 |

**नोट:** कागज या बोर्ड पर मोम की परत चढाने के लिए पैराफिन मोम जो कि आईएस 4654 के प्रकार I पर खरा उतरता हो का उपयोग किया जाना चाहिए।

**अनुसूची – II**

**धातु और मिश्र धातु जो खाद्य उत्पादों के सीधे सम्पर्क में आते हैं।**

| क्र.सं | मानकों की सूची |
|---|---|
| 1. | कोल्ड रिड्युस्ड इलेक्ट्रोलाइटिक टिनप्लेट– आईएस 1993/ आईएसओ 11949 |
| 2. | कोल्ड रिड्युस्ड इलेक्ट्रोलाइटिक क्रोमियम या क्रोमियम ऑक्साइड - लेपित स्टील - आईएस 12591 / आईएसओ 11950 है |
| 3. | सामान्य अभियान्त्रिकी के लिए गढ़ा हुआ एल्यूमिनियम और मिश्रित एल्यूमिनियम धातु की शीट और पट्टी - आईएस 737 |
| 4. | खाद्य पैकेजिंग के लिए एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम मिश्रित फ़ोइल – आईएस 15392 |
| 5. | क्राउन क्लोजर के लिए विशिष्टता - आईएस 1994 |
| 6. | खाद्य और पेय पदार्थों के लिए विशिष्टता घुमकर ऊपर से खुले हुए गोल सेनेटरी कैन के लिए विशिष्टता – आईएस 9396 – (भाग- 1) |
| 7. | खाद्य और पेय पदार्थों के लिए घुमकर ऊपर से खुले हुए गोल सेनेटरी कैन के लिए विशिष्टता – आईएस 9396 – (भाग- 2) |

**अनुसूची - III**

**प्लास्टिक सामग्री जो खाद्य उत्पादों के सीधे सम्पर्क में आते हैं**

| क्र.सं | मानकों की सूची |
|---|---|
| 1. | खाद्य पदार्थों, दवाईयों और पीने के पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए इनके संपर्क में आने वाली पॉलीथीन के लिए विनिर्देश - आईएस 10146 |
| 2. | खाद्य पदार्थों, दवाईयों और पीने के पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए इनके संपर्क में आने वाली पॉलीस्र्टेन के लिए विनिर्देश - आईएस – 10142 |
| 3. | खाद्य पदार्थों, दवाईयों और पीने के पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए इनके संपर्क में आने वाली पोलीविनाईल क्लोराईड (पीवीसी) और उसके सहपॉलिमरों के लिए विनिर्देश - आईएस 10151 |
| 4. | खाद्य पदार्थों, दवाईयों और पीने के पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए इनके संपर्क में आने वाली पोलीप्रोपीलेन और उसके सहपॉलिमरों के लिए विनिर्देश - आईएस 10910 |
| 5. | खाद्य पदार्थों, दवाईयों और पीने के पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए इनके संपर्क में आने वाली लोनोमर रेजिन्स के लिए विनिर्देश - आईएस 11434 |
| 6. | खाद्य पदार्थों, दवाईयों और पीने के पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए इनके संपर्क में आने वाली ऐथीलेन |

| | |
|---|---|
| | एक्रिलिक एसिड (ईएए) सहपॉलिमरों के लिए विनिर्देश - आईएस 11704 |
| 7. | खाद्य पदार्थों, दवाईयों और पीने के पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए इनके संपर्क में आने वाली पोलीएल्केलेन टेरीपेथलेट्स (पीईटी एवं पीबीटी) के लिए विनिर्देश - आईएस 12252 |
| 8. | खाद्य पदार्थों, दवाईयों और पीने के पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए इनके संपर्क में आने वाली नायलोन 6 पोलीमर के लिए विनिर्देश - आईएस 12247 |
| 9. | खाद्य पदार्थों, दवाईयों और पीने के पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए इनके संपर्क में आने वाली इथाइलीन विनाईल एसीटेट (ईवीए) सहपोलीमिर्स के लिए विनिर्देश - आईएस 13601 |
| 10. | खाद्य पदार्थों, दवाईयों और पीने के पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए इनके संपर्क में आने वाली एथीलीन मेथा ऐक्रेलिक एसिड (ईएमएए) के लिए विनिर्देश - आईएस 13576 |
| 11. | खाद्य पदार्थों, दवाईयों और पीने के पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए इनके संपर्क में आने वाली पोलीकार्बोनेट रेजिन्स के लिए विनिर्देश - आईएस 14971 |
| 12. | खाद्य तेल, घी और वनस्पति के पैकेजिंग के लिए लचीले पैकेजिंग सामग्री के लिए विनिर्देश 14636 |
| 13. | ढलाई और बाहर निकालने के लिए पॉलिएक्लीन टेरीफेथलेट्स (पीईटी और पीबीटी) के लिए विनिर्देश - आईएस 13193 |
| 14. | पॉलीऐथीलीन फिल्म एंव शीटों के लिए विनिर्देश -आईएस 2508 |
| 15. | रैखिक कम घनत्व वाली पॉलीथीन (एलएलडीपीई) फिल्म्स के लिए विनिर्देश– आईएस- 14500 |
| 16. | उच्च घनत्व वाली पॉलीएथिलीन सामग्री का ढलाई और बाहर निकालने के लिए विनिर्देश– आईएस 7328 |
| 17. | खाद्य पदार्थों, दवाईयों और पीने के पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए इनके संपर्क में आने वाली मेलामाईन-फार्मलाडिहाइड रेजिन्स के लिए विनिर्देश - आईएस 14999 |
| 18. | कम घनत्व पॉलीथीन फिल्में - आईएस 2508 है |
| 19. | ब्लो मोल्ड पॉलीओलेफ़िन कंटेनर - भाग 2: 5 लीटर से ऊपर तक और जिसमे 60 लीटर क्षमता भी शामिल है - आईएस 7408 |
| 20. | स्ट्रेच क्लिंग फिल्म्स - आईएस 14995 है |

## अनुसूची – IV
## सांकेतिक पैकेजिंग सामग्रियों की सूची

| क्र.सं | उत्पाद श्रेणी | पैकेजिंग सामग्री का प्रकार |
|---|---|---|
| 1. | दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद | • धातु या प्लास्टिक पोलिप्रोपाइलीन (पीपी) या उच्च घनत्व पोलीईथाईलीन (एचडीपीई) के ढक्कन के साथ कांच की बोतलें।<br>• प्लास्टिक पोलिप्रोपाइलीन (पीपी) या उच्च घनत्व पोलीईथाईलीन (एचडीपीई) के ढक्कन के साथ पोलीईथाईलीन टेरेप्थेलेट (पीईटी) से बने हुए कठोर प्लास्टिक कन्टेनर।<br>• प्लास्टिक (पोलिप्रोपाइलीन (पीपी) या उच्च घनत्व पोलीईथाईलीन (एचडीपीई) के ढक्कन के साथ उच्च घनत्व पोलीईथाईलीन (एचडीपीई) |

| | | |
|---|---|---|
| | | या पोलिप्रोपाइलीन (पीपी) या पोलिस्टाईरिन (पीएस) से बने हुए कठोर प्लास्टिक कन्टेनर।<br>• पॉलीएथिलिन (पीई) या पोलिप्रोपाइलीन (पीपी) आधारित सह-एक्सट्रूडेड बहुपरतीय सामग्री से बने लचीले प्लास्टिक थैली।<br>• शुदृ और लचीली पैकेजिंग सामग्री (कागज बोर्ड या एल्यूमिनियम पन्नी या पॉलीथिलिन) आधारित बहुपरतीय संरचना।<br>• टिन प्लेट कंटेनर।<br>• एल्यूमीनियम फॉयल आधारित परतदार संरचना से बने कागज के डिब्बे<br>• प्लास्टिक से बने पोलिप्रोपाइलीन (पीपी) या पोलिस्टाईरिन (पीएस) कप जिनमें ढक्कन को हटाया जा सकता हो ।<br>• मक्खन को रैप करने वाले मोम की परत वाले कागज<br>• कागज और कागज बोर्ड आधारित तह कार्टन जिसके अन्दर बटर पेपर में लिपटा हुआ मक्खन हो।<br>• कागज या छील ढक्कन के साथ प्लास्टिक आधारित पोलिप्रोपाइलीन (पीपी) या पोलिस्टाईरिन (पीएस) के कप।<br>• प्लास्टिक् के ढक्कनों के साथ प्लास्टिक के पीईटी कन्टेनर<br>• थर्मोफॉम के कप/ट्रे जिनके ढक्कन हटाये जा सकते हों।<br>• कागज एवं कागज बोर्ड के डिब्बे जिनके अन्दर प्लास्टिक की फिल्म हो या नहीं हो-<br>• कागज एवं कागज बोर्ड के डिब्बे जिनके अन्दर चिकनाईरोधी पेपर लगाया गया हो या नहीं लगाया गया हो।<br>• प्लास्टिक आधारित बहु परतीय लचीली परत थैलियां जिन्हें गर्म करके बन्द किया जाता है।<br>• मिट्टी के बर्तन |
| 2. | वसा, तैल एवं वसा पायसन | • टिन प्लेट कंटेनर<br>• धातु या प्लास्टिक पोलिप्रोपाइलीन (पीपी) या उच्च घनत्व पोलीईथाईलीन (एचडीपीई) ढक्कन के साथ कांच की बोतलें।<br>• उच्च घनत्व पोलीईथाईलीन (एचडीपीई) से बने कठोर प्लास्टिक के कन्टेनर (जार).<br>• प्लास्टिक के ढक्कन के साथ पोलीईथाईलीन टेरेप्थेलेट (पीईटी) से बने हुई बोतल या जार।<br>• प्लास्टिक की थैलियां जो कि बहु परतीय लैमिनशन संरचना से बनाई गई हों।<br>• शुदृ और लचीली पैकेजिंग सामग्री (कागज बोर्ड / एल्यूमिनियम फॅायल/ पॉलीएथिलीन) आधारित बहुपरतीय संरचना।<br>• दृि-तरफी बोर्ड बॉक्स में प्लास्टिक लेमिनेटेड थैला ( डिब्बा में थैले)।<br>• प्लास्टिक के ढक्कनों के साथ थर्मोफर्माम्ड आधारित प्लास्टिक जार।<br>• एल्यूमीनियम फॉयल आधारित परतदार संरचना से बने डिब्बे<br>• कागज आधारित रेखांकित डिब्बे जिन पर एल्यूमिनिमय फायल |

| | | |
|---|---|---|
| | | आधारित लैमिनिशन की संरचना की गई हो। |
| 3. | फल और सब्जी उत्पाद | • धातु या प्लास्टिक पोलिप्रोपाइलीन (पीपी) या उच्च घनत्व पोलीईथाईलीन (एचडीपीई) के ढक्कन के साथ कांच की बोतलें।<br>• एल्यूमिनियम के केन जिन्हें आसानी से खोला जा सकता हो।<br>• टिन प्लेट कंटेनर<br>• शुदृ और लचीली पैकेजिंग सामग्री (कागज बोर्ड / एल्यूमिनियम फॉयल/ पॉलीएथिलीन) आधारित बहुपरतीय संरचना।<br>• कठोर प्लास्टिक कंटेनर (जार) जिन्हें या तो उच्च घनत्व पोलीईथाईलीन (एचडीपीई) या प्लास्टिक पोलिप्रोपाइलीन (पीपी) साथ में बाहर निकाली हुई संरचना का बना हो और उच्च घनत्व पोलीईथाईलीन (एचडीपीई) का ढक्कन बना हो।<br>• प्लास्टिक टोंटी के साथ प्लास्टिक आधारित संरचना से बने हुए खडी थैलियां।<br>• लचीली प्लास्टिक थैलियां जिन्हें या तो पीई या लेमिनेटेड संरचना से बनाया गया हो।<br>• एल्यूमीनियम पन्नी/पीई आधारित ढक्कन के साथ थर्मोफॉर्मेड प्लास्टिक कंटेनर (बुलबले वाला पैक)।<br>• धातु के ढक्कनों के साथ प्लास्टिक जार (को-एक्सट्रूडेड)<br>• ओवररैप के साथ प्लास्टिक ट्रे। |
| 4. | मिठाईयां एवं कन्फैक्शनरी | • धातु कंटेनर के साथ प्लास्टिक पोलिप्रोपाइलीन (पीपी) या धातु या प्लास्टिक के ढक्कन।<br>• प्लास्टिक आधारित बहुपरतीय लेमिनेटेड गर्म करके बन्द की गई थैलियां।<br>• प्लास्टिक / धातु के ढक्कन के साथ कागज बोर्ड या एल्यूमीनियम पन्नी या प्लास्टिक आधारित फिल्मों से बने मिश्रित कंटेनर।<br>• प्लास्टिक् आधारित कठोर कंटेनर।<br>• फॉईल रैप।<br>• प्लास्टिक फिल्म आधारित दोहरा रैप(पोलीईथाईलीन टेरेप्थेलेट (पीईटी) या पोलिप्रोपाइलीन (पीपी) या पोलीवीनील क्लोराइड (पीवीसी))<br>• ढक्कन के साथ थर्मोफॉर्म ट्रे<br>• धातु/प्लास्टिक के ढक्कनों के साथ कांच की बोतलें।<br>• फिल्म के ढक्कनों के साथ पुलास्टिक के कप |
| 5. | अनाज एवं अनाज उत्पाद | • टिन के कंटेनर<br>• धातु के डिब्बों में एल्यूमिनिमय फॉयल आधारित थैलियां।<br>• मोम की परत वाले कागज से बने रैपर।<br>• तीन परतीय लैमिनेशन संरचना से बने रैपर।<br>• बहुपरतीय प्लास्टिक आधारित लैमिनेटेड थैलियां (गर्म करने सीलबंद किया हुआ)।<br>• प्लास्टिक के ढक्कन के साथ थर्मोफॉर्म के कन्टेनर। |

| | | |
|---|---|---|
| | • बहु परतीय लेमिनेटेड संरचना से बने हुए परत वाले डिब्बे।<br>• प्लास्टिक आधारित बहुपरतीय लेमिननेटेड संरचना वाले जिपर पाउच।<br>• प्लास्टिक के ढक्कन/ओवर रैप के साथ थर्मोफॉम की ट्रे।<br>• धातु के ढक्कन के साथ कांच की बोतलें। |
| 6. | मांस और मांस उत्पाद या कुक्कुट उत्पादन | • प्लास्टिक के ढक्कन पोलिप्रोपाइलीन (पीपी) या उच्च घनत्व पोलीईथाईलीन (एचडीपीई) के साथ कांच के जार।<br>• धातु के ढक्कन के साथ धातु कंटेनर (रोगन टिन कंटेनर)।<br>• कागज और कागज बोर्ड के डिब्बे में प्लास्टिक आधारित लचीली थैलियां।<br>• प्लास्टिक आधारित बहुपरतीय लचीली लेमिनेट्स गर्म करके सीलबंद की हुई थैलियां।<br>• ओवर रैप के साथ प्लास्टिक ट्रे।<br>• एल्यूमिनिमय फॉयल रैप। |
| 7. | मछली और मछली उत्पाद या समुद्री खाद्य | • प्लास्टिक के ढक्कन पोलिप्रोपाइलीन (पीपी) या उच्च घनत्व पोलीईथाईलीन (एचडीपीई) के साथ कांच के जार।<br>• धातु के ढक्कन के साथ धातु के डिब्बे (रोगन टिन के डिब्बे)।<br>• प्लास्टिक के ढक्कनों के साथ पोलीईथाईलीन टेरेप्थेलेट (पीईटी) डलिया या कंटेनर।<br>• प्लास्टिक आधारित बहुपरतीय लचीली लेमिनेट थैलियां जिन्हें गर्म करके सीलबन्द किया जाता है।<br>• ओवर रैप के साथ प्लास्टिक ट्रे। |
| 8. | मिठास कारक जिसमे शहद भी शामिल है | • धातु ढक्कनों या प्लास्टिक (पोलिप्रोपाइलीन (पीपी) या उच्च घनत्व पोलीईथाईलीन (एचडीपीई)) के साथ कांच के जार।<br>• प्लास्टिक के ढक्कन के साथ कांच की बोतल।<br>• फॉयल/पोलीथिलेन के ढक्कन के साथ बुल बुलेदार पैक।<br>• प्लास्टिक के ढक्कनों के साथ पोलीथिलेन टेरेफेथलेट (पीईटी) डिब्बे।<br>• प्लास्टिक की लेमिनेटेड नलिका। |
| 9. | नमक, मसाले और अन्य संबंधित उत्पाद। | • धातु ढक्कनों या प्लास्टिक (पोलिप्रोपाइलीन (पीपी) या उच्च घनत्व पोलीईथाईलीन (एचडीपीई)) के साथ कांच के जार।<br>• प्लास्टिक के ढक्कन के साथ प्लास्टिक आधारित कठोर डिब्बे पोलीथिलेन टेरेफेथलेट (पीईटी) और उच्च घनत्व पोलीईथाईलीन (एचडीपीई) कंटेनर।<br>• कागज एवं कागज के बोर्ड/ एल्यूमीनियम फॉयल/ प्लास्टिक फिल्म आधारित मिश्रित कंटेनर ।<br>• तह किये जा सकने वाले डिब्बे जिनके अन्दर प्लास्टिक आधारित लचीले लेमिनेटेड थैली रखी जाती हैं। (जिन्हे गर्म करके सीलबन्द किया जाता है)<br>• प्लास्टिक आधारित बहुपरतीय लेमिनेटेड थैलियां(जिन्हे गर्म करके सीलबन्द किया जाता है) |

| | | |
|---|---|---|
| 10. | पेय पदार्थ (डेयरी एवं फल एंव सब्जी आधारित पेयों को छोडकर)। | • प्लास्टिक (पीपी) ढक्कनों के साथ प्लास्टिक की बोतलें जो या तो पेट से बनी हों या पॉलीकॉर्बोनेट (पीसी) से बनी हुई हों।<br>• पोलीथिलीन (पीई) से बनी प्लास्टिक की थैलियां जो कि गर्म करके सीलबन्द की गई हों।<br>• प्लास्टिक/धातु के ढक्कन के साथ कांच की बोतल।<br>• पोलीथिलीन (पीई) से बनी प्लास्टिक की थैलियां जो कि नालीदार फाईबर के डिब्बों में रखी जाती हैं।<br>• ऊपर से आसानी से खुलने वाली टिन की केन।<br>• टिन के डिब्बे।<br>• लैमिनेटेड संरचाना से बनी प्लास्टिक् की थैलियां।<br>• शुदृ और लचीली पैकेजिंग सामग्री (कागज बोर्ड / एल्यूमिनियम पन्नी / पॉलीथीन) आधारित बहुपरतीय संरचना।<br>• गर्म करके सीलबन्द की हुई प्लास्टिक आधारित बहु परतीय संरचना थैलियां।<br>• प्लास्टिक आधारित बहु स्तरीय संरचना वाली जिपर पाऊच थैलियां/ खडी थैलियां जिन्हें गर्म करके सीलबन्द किया जाता है।<br>• धातु/प्लास्टिक के ढक्कनों के साथ धातु के डिब्बे<br>• प्लास्टिक के ढक्कनों (पीपी ढक्कन) के साथ कठोर प्लास्टिक के डिब्बे।<br>• शराब के लिए लकडी का पीपा |

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./456/18]

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December , 2018

**F.No. 1-95/Stds/Packaging/SP(L&C/A)/FSSAI-2017**.—Whereas the draft of certain regulations, namely, the Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018 vide notification number F.No. 1-95/Stds/Packaging/SP(L&C/A)/FSSAI-2017, dated the 19th March, 2018 was published as required under Sub-section (1) of section 92 of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) in Gazette of India, Extraordinary, Part III, section 4, inviting objections and suggestions from the person likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from date on which the copies of Gazette containing the said notification was made available to the public;

And whereas, the Food Safety and Standards Authority of India made the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011, but now the Food Authority has decided to divide these regulations into two regulations,-

(i) the Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018; and

(ii) the Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2018,

And accordingly published the aforesaid draft regulations;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 2nd April, 2018;

And whereas objections and suggestions received on the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (k) of sub-section (2) of section 92, read with section 23 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) and in supersession of the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011, in so far as they relate to the packaging regulations, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations, namely:-

**Regulations**

**1. Short Title and Commencement.-** (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette and Food Business Operator shall comply with all the provisions of these regulations by 1st July, 2019.

**2. Definitions.-** (1) In these regulations unless the context otherwise requires:-

(a) **"Act"** means the Food Safety and Standards Act, 2006 (Act 34 of 2006);

(b) **"food grade"** means material made of substances which are safe and suitable for their intended use, and shall not endanger human health or result in unacceptable change in the composition of the food or organoleptic characteristics;

(c) **"multilayer/composite food packaging"** means a food packaging material composed of two or more layers of same or different types of packaging materials specified under these regulations;

(d) **"overall migration limit"** means the maximum permitted amount of non-volatile substances released from a material or article into food simulants;

(e) **"package or container"** means a pre-packaged box, bottle, casket, tin, barrel, case, pouch, receptacle, sack, bag, wrapper or such other things in which an article of food is packed;

(f) **"packaging material"** means materials such as cardboard, paper, glass, metal, plastic, multi-layer packaging material used for packaging of food products;

(g) **"primary food packaging"** means packaging material in direct contact with food products;

(h) **"secondary food packaging"** means packaging material which encloses the primary food packaging and does not come in direct contact with food products;

(i) **"specific migration limit"** means the maximum permitted amount of a given substance released from a material or article into food or food simulants.

(2) All other words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, rules or regulations made thereunder, shall have the meanings assigned to them in the Act, rules or regulations, respectively.

**3. General Requirements.-** (1) Every food business operator shall ensure that the packaging material used shall be in accordance with these regulations:

Provided where Indian Standards are not available, then relevant International Standards may be complied with.

(2) Any material which comes in direct contact with food or likely to come in contact with food used for packaging, preparation, storing, wrapping, transportation and sale or service of food shall be of food grade quality.

(3) Packaging materials shall be suitable for the type of product, the conditions provided for storage and the equipment for filling, sealing and packaging of food as well as transportation conditions.

(4) Packaging materials shall be able to withstand mechanical, chemical or thermal stresses encountered during normal transportation. In case of flexible or semi-rigid containers, an overwrap packaging may be necessary.

(5) Food products shall be packed in clean, hygienic and tamper-proof package or container.

(6) The sealing material shall be compatible with the product and the containers as well as the closure systems used for the containers.

(7) Tin containers once used, shall not be re-used for packaging of food.

(8) Plastic containers of capacity 5 litre and above and Glass bottles, which are reused for packaging of food, shall be suitably durable, easy to clean or disinfect.

(9) Printing inks for use on food packages shall conform to IS: 15495.

(10) Printed surface of packaging material shall not come into direct contact with food products.

(11) Newspaper or any such material shall not be used for storing and wrapping of food.

(12) In case of multilayer packaging the layer which comes in direct contact with food or layers likely to come in contact with food shall meet the requirements of packaging materials specified in Schedule I, II and III of these regulations.

(13) The materials listed in Schedule I, II and III of these regulations shall be compatible with their intended use as a packaging material so as not to alter the quality and safety of the food product.

(14) Every food business operator shall obtain the certificate of conformity issued by NABL accredited laboratory against these regulations for the packaging material which comes in direct contact with food or layers likely to come in contact with food to be used.

**4. Specific Requirements for Primary food packaging.- (1) Paper and board materials intended to come in contact with food products-**

(a) Paper and board material shall be of uniform formation, thickness and substance.

(b) It shall be free from visible specks, grease marks, cuts, pinholes and other blemishes.

(c) The paper used for the manufacture of boxes, cartons, plates, cups and paper lids or paper which are meant to be direct in contact with food shall be of food grade and shall be free from contaminants.

(d) Paper and board materials used for the manufacturing of containers for packing or storing the food products shall conform to either of the Indian Standards specifications as provided in **Schedule – I.**

**(2) Glass containers intended to come in contact with food products-** (a) As far as possible, they shall be free from blisters, mould marks, stones and chippings and as far as possible shall be free from cords, seeds and other visible defects.

(b) They shall have a smooth surface without cracks, pinholes and sharp edges.

(c) The sealing surface shall be free from hairline cracks and prominent seam marks.

**(3) Metal and Metal Alloys intended to come in contact with food products-**

(a) A utensil or container made of the following materials or metals, when used in the preparation, packaging and storing of food shall be deemed to render it unfit for human consumption:-

(i) containers which are rusty;

(ii) enamelled containers which have become chipped and rusty;

(iii) copper or brass containers which are not properly tinned.

(b) Appropriate grades of metal and metal alloys where applicable shall be used for packing or storing of food products.

(c) Metal and metal alloys used for the manufacturing of containers for packing or storing the food products shall conform to either of the Indian Standards specifications as provided in Schedule – II.

**(4) Plastic materials intended to come in contact with food products-**

(a) Plastic materials used for the manufacturing of containers for packing or storing the food products shall conform to either of the Indian Standards specifications as provided in Schedule – III:

Provided that Drinking Water (both Packaged and Mineral Water) shall be packed in colourless, transparent and tamper-proof bottles or containers made of polyethylene (PE) conforming to IS: 10146 or polyvinyl chloride (PVC) conforming to IS: 10151 or polyalkylene terephthalate (PET and PBT) conforming to IS: 12252 or polypropylene (PP) conforming to IS: 10910 or food grade polycarbonate conforming to IS: 14971 or polystyrene conforming to IS: 10142 or sterile glass bottles only. The transparency of a container shall not be less than 85 percent in light transmittance:

Provided also that all pigments or colorants as specified in Indian Standard IS: 9833 may be allowed in plastic containers of five litre and above made of Polycarbonate and Polyethylene Terephthalate (PET) used for packaging of mineral water and packaged drinking water. The transparency of such containers shall not be less than 85 percent in light transmittance.

(b) All packaging materials of plastic origin shall pass the prescribed overall migration limit of 60mg/kg or 10mg/dm2 when tested as per IS 9845 with no visible colour migration.

(c) Plastic materials and articles shall not release the substances in quantities exceeding the specific migration limits listed under Table 1.

(d) Pigments or Colorants for use in plastics in contact with food products and drinking water shall conform to IS: 9833.

(e) Products made of recycled plastics including carry bags shall not be used for packaging, storing, carrying or dispensing articles of food.

**Table 1**

**Requirement for specific migration limits of substances from plastic materials intended to be in contact with articles of food**

| SI. No. | Substances | Maximum Migration Limit (mg/Kg) |
|---|---|---|
| 1. | Barium | 1.0 |
| 2. | Cobalt | 0.05 |
| 3. | Copper | 5.0 |
| 4. | Iron | 48.0 |

| | | |
|---|---|---|
| 5. | Lithium | 0.6 |
| 6. | Manganese | 0.6 |
| 7. | Zinc | 25.0 |

5. A list of suggestive packaging materials which may be used for packaging of food products falling under the specified categories is provided in **Schedule – IV:**

Provided that this is an indicative list not restricting the use of any other packaging material complying with the specified standards.

**Schedule – I**

**Paper and board materials intended to come in contact with food products**

| SI. No | List of Standards |
|---|---|
| 1. | Grease proof paper – IS 6622 |
| 2. | Vegetable parchment or Grease proof paper or Aluminium Foil Laminate – IS 7161 |
| 3. | Aluminium Foil Laminates for Packaging – IS 8970 |
| 4. | General purpose packing or wrapping Paper – IS 6615 |
| 5. | Folding Box Board, uncoated – IS 1776 |
| 6. | Corrugated Fibre Board Boxes- Specification (Part 1) – IS 2771 |

**Note:** The wax used for coating the paper or board shall be paraffin wax conforming to Type I of IS 4654.

**Schedule – II**

**Metal and Metal Alloys intended to come in contact with food products**

| SI. No | List of Standards |
|---|---|
| 1. | Cold-reduced Electrolytic Tinplate – IS 1993/ISO 11949 |
| 2. | Cold reduced Electrolytic Chromium or Chromium Oxide – Coated Steel - IS 12591/ISO 11950 |
| 3. | Wrought Aluminium and Aluminium Alloy Sheet and Strip for General Engineering – IS 737 |
| 4. | Aluminium and Aluminium Alloy Bare Foil for Food Packaging – IS 15392 |
| 5. | Specification for Crown Closures – IS 1994 |
| 6. | Specification for Round Open Top Sanitary Cans for Foods and Drinks – IS 9396 (Part 1) |
| 7. | Specification for Round Open Top Sanitary cans for Foods and Drinks – IS 9396 (Part 2) |

**Schedule – III**

**Plastic Materials intended to come in contact with food products**

| SI. No. | List of Standards |
|---|---|
| 1. | Specification for Polyethylene for its safe use in contact with foodstuffs, pharmaceuticals and drinking water – IS 10146 |
| 2. | Specification for Polystyrene for its safe use in contact with foodstuffs, pharmaceuticals and drinking water – IS 10142 |

| | |
|---|---|
| 3. | Specification for Polyvinyl Chloride (PVC) and its copolymers for its safe use in contact with foodstuffs, pharmaceuticals and drinking water – IS 10151 |
| 4. | Specification for Polypropylene and its copolymers for its safe use in contact with foodstuffs, pharmaceuticals and drinking water – IS 10910 |
| 5. | Specification for Ionomer Resins for its safe use in contact with foodstuffs, pharmaceuticals and drinking water – IS 11434 |
| 6. | Specification for Ethylene Acrylic Acid (EAA) copolymers for their safe use in contact with foodstuffs, pharmaceuticals and drinking water – IS 11704 |
| 7. | Specification for Polyalkylene Terephathalates (PET & PBT) for their safe use in contact with foodstuffs, pharmaceuticals and drinking water - IS 12252 |
| 8. | Specification for Nylon 6 Polymer for its safe use in contact with foodstuffs, pharmaceuticals and drinking water – IS 12247 |
| 9. | Specification for Ethylene Vinyl Acetate (EVA) copolymers for its safe use in contact with foodstuffs, pharmaceuticals and drinking water – IS 13601 |
| 10. | Specification for Ethylene Metha Acrylic Acid (EMAA) copolymers and terpolymers for its safe use in contact with foodstuffs, pharmaceuticals and drinking water – IS 13576 |
| 11. | Specification for Polycarbonate Resins for its safe use in contact with foodstuffs, pharmaceuticals and drinking water – IS 14971 |
| 12. | Specification for Flexible Packaging Materials for packaging of Edible Oils, Ghee and Vanaspati - IS 14636 |
| 13. | Specification for Polyalkylene Terephthalates (PET & PBT) for Moulding and Extrusion – IS 13193 |
| 14. | Specification for Polyethylene Films and Sheets – IS 2508 |
| 15. | Specification for Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) Films – IS 14500 |
| 16. | Specification for High Density Polyethylene Materials for Moulding and Extrusion – IS 7328 |
| 17. | Specification for Melamine-Formaldehyde Resins for its safe use in contact with foodstuffs, pharmaceuticals and drinking water – IS 14999 |
| 18. | Low Density Polyethylene Films – IS 2508 |
| 19. | Blow Moulded Polyolefin Containers - Part 2 : Over 5 Litres, Up to and Including 60 Litres Capacity – IS 7408 |
| 20. | Stretch Cling Films – IS 14995 |

**Schedule – IV**

**List of suggestive packaging materials**

| SI.No. | Product Category | Types of Packaging materials |
|---|---|---|
| 1. | Milk and milk products | • Glass bottle with metal caps or plastic (polypropylene (PP) or High-density polyethylene (HDPE)) caps.<br>• Rigid Plastic container made of PET with plastic (polypropylene (PP) or High-density polyethylene (HDPE)) caps.<br>• Rigid Plastic container made up of High density polyethylene (HDPE) or Polypropylene (PP) or Polystyrene (PS) with Plastic (PP |

| | | |
|---|---|---|
| | | or High-density polyethylene (HDPE) caps.<br>• Flexible plastic pouch made of polyethylene (PE) or Polypropylene (PP) based co-extruded multilayered material.<br>• Aseptic and flexible packaging material (Paper board or Aluminium foil or polyethylene) based multilayered structure.<br>• Tin plate container.<br>• Paper based lined cartons with liner made of aluminium foil based laminated structure.<br>• Plastic based polypropylene (PP) or polystyrene (PS) cups with paper or Peel-off lid.<br>• Wax coated paper butter wrappers.<br>• Paper and Paper Board based folding carton inside butter wrapped with butter paper.<br>• Metal Containers with plastic polypropylene (PP) caps or metal or plastic lid.<br>• Plastic pet container with plastic lid.<br>• Thermoform cup or tray with paper or peel-off lids.<br>• Paper and Paper Board setup boxes with or without lamination – plastic film inside.<br>• Paper and Paper Board setup boxes with or without grease proof paper placed inside.<br>• Plastic Based multi layered flexible laminated heat sealed pouch.<br>• Mud or clay pots.<br>• Thermoformed Plastic container (blister pack) with aluminium foil or polyethylene (PE) based lid |
| 2. | Fats, oils and fat emulsions | • Tin plate container.<br>• Glass bottle with metal caps or plastic polypropylene (PP) or High-density polyethylene (HDPE) caps.<br>• Plastic rigid container (jar) made of High-density polyethylene (HDPE).<br>• Plastic bottle or Jar Polyethylene terephthalate (PET) with plastic caps.<br>• Plastic Pouch made of Multi layered laminated or co-extruded structure.<br>• Aseptic and flexible packaging material (Paper board or Aluminium foil or polyethylene) based multilayered structure.<br>• Plastic laminated pouch in duplex board box (Bag in Box). |

| | | |
|---|---|---|
| | | • Thermoformed plastic based jar with plastic caps.<br>• Paper based lined cartons with liner made of aluminium foil based laminated structure. |
| 3. | Fruit & Vegetable products | • Glass bottle with metal caps or plastic ( polypropylene (PP) or High-density polyethylene (HDPE) caps.<br>• Aluminium can with easy open end.<br>• Tinplate container.<br>• Aseptic and flexible packaging material (Paper board or Aluminium foil or polyethylene) based multilayered structure.<br>• Plastic rigid container (jar) made of either High-density polyethylene (HDPE) or Co-extruded structure with Plastic (polypropylene (PP) or High-density polyethylene (HDPE) caps.<br>• Stand up Pouch made up of Plastic based structure with plastic spout.<br>• Flexible Plastic pouch made of either polyethylene (PE) or Laminated structure.<br>• Thermoformed Plastic container (blister Pack) with aluminium foil or polyethylene (PE) based lid.<br>• Plastic jar (Co-extruded) with metal caps.<br>• Plastic trays with overwrap.<br>• Polyethylene terephthalate (PET) or polypropylene (PP) or Poly Vinyl Chloride (PVC) Punnets |
| 4. | Sweets and Confectionery | • Metal Containers with plastic polypropylene (PP) caps or metal or plastic lid Plastic based multilayered laminated Heat sealed pouches.<br>• Composite containers made up of Paper Board or Aluminium foil or plastic base films with plastic or metal lids.<br>• Plastic based rigid containers.<br>• Foil wrap.<br>• Plastic film based twist wraps ( Polyethylene terephthalate (PET) or polypropylene (PP) or Poly Vinyl Chloride (PVC) ).<br>• Thermoformed tray and punnet with lid.<br>• Glass bottle with metal or plastic caps.<br>• Plastic cups with film lid. |
| 5. | Cereals and cereal products | • Tin container.<br>• Aluminium Foil Based laminated pouch in metal container.<br>• Wrapper made of wax coated paper.<br>• Wrapper made of three layered laminated structure.<br>• Plastic based multilayered laminated pouch (heat sealed).<br>• Plastic based thermoform container with plastic lid. |

| | | |
|---|---|---|
| | | • Lined carton with liner made of multi layered laminated structure.<br>• Plastic based multilayered laminated structured Zipper pouch.<br>• Thermoform trays with plastic lids or over wraps.<br>• Glass bottle with metal caps.<br>• Polyethylene terephthalate (PET) or Plastic based rigid containers with metal or plastic ( polypropylene (PP) or High-density polyethylene (HDPE) caps<br>• Plastic films or co-extruded film or polypropylene (PP) or polyethylene (PE) |
| 6. | Meat and Meat Products or Poultry Products | • Glass jars with plastic ( polypropylene (PP) or High-density polyethylene (HDPE) caps.<br>• Metal Containers with metal lid (lacquered tin containers).<br>• Plastic based flexible pouches in paper & paper Board carton.<br>• Plastic based multilayered flexible laminates heat sealed pouches.<br>• Plastic tray with overwrap.<br>• Aluminium foil wrap.<br>• Polyethylene terephthalate (PET) punnets or containers with plastic caps |
| 7. | Fish and fish products or Seafood | • Glass jars with plastic (PP or High-density polyethylene (HDPE) caps.<br>• Metal Containers with metal lid (lacquered tin containers).<br>• Polyethylene terephthalate (PET) punnets or containers with plastic caps.<br>• Plastic based multilayered flexible laminates heat sealed pouches.<br>• Plastic tray with overwrap. |
| 8. | Sweetening agents including Honey | • Glass bottle with Metal Caps or Plastic (polypropylene (PP) or High-density polyethylene (HDPE) Caps.<br>• Plastic based Thermoformed container.<br>• Blister Pack with foil or polyethylene lid.<br>• Polyethylene Terephthalate (PET) container with Plastic Caps.<br>• Plastic laminated Tube. |
| 9. | Salt, spices, Condiments and related products | • Glass bottle with metal lid or plastic (polypropylene (PP) or High-density polyethylene (HDPE) caps.<br>• Plastic based rigid container with Plastic cap ( Polyethylene terephthalate (PET) and High-density polyethylene (HDPE) Containers).<br>• Paper & Paper board or Aluminium foil or Plastic Film based Composite Container.<br>• Folding cartons with Plastic based flexible laminated structure (heat |

| | | |
|---|---|---|
| | | sealed) pouch placed inside. <br>• Plastic based multilayered layered laminated pouch (heat sealed). |
| 10. | Beverages (other than Dairy and Fruits & vegetables based) | • Plastic bottles made of either Polyethylene terephthalate (PET) or Polycarbonate (PC) with Plastic (Polypropylene (PP) or High-density polyethylene (HDPE) or Aluminium caps.<br>• Heat sealed Plastic pouches made of Polyethylene (PE).<br>• Glass bottles with metal caps or plastic caps.<br>• Plastic pouches made up of Polyethylene (PE) in Corrugated fibre board Boxes.<br>• Aluminium can with easy open end.<br>• Tin plate container.<br>• Plastic pouch made of laminated structure.<br>• Aseptic and flexible packaging material (Paper board or Aluminium foil or polyethylene) based multilayered structure.<br>• Plastic based multi layered structure heat sealed pouches.<br>• Plastic based multi layered structure heat sealed Zipper pouches or stand up pouches.<br>• Metal Containers with plastic or Polypropylene (PP) caps or metal or plastic lid, Rigid Plastic container with plastic caps (Polypropylene (PP) Caps).<br>• Wooden cask (for wines). |

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./456/18]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2019.01.01 15:43:22 +05'30'